

महामारी अधिनियम, 1897

(1897 का अधिनियम संख्यांक 3)¹

[4 फरवरी, 1897]

खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम का उपबन्ध करना समीचीन है; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महामारी अधिनियम, 1897 है।

²(2) इसका विस्तार, ³[उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे] सम्पूर्ण भारत पर है।^{4***}

^{4*} * * * * *

5. खतरनाक महामारी के विशेष उपाय करने और विनियम विहित करने की शक्ति—(1) जब ⁶[राज्य सरकार] का किसी समय यह समाधान हो जाए कि ⁷[राज्य] या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है, या होने की आशंका है तब ⁶[राज्य सरकार] यदि वह यह समझती है कि तत्समय प्रवृत्त विधि के साधारण उपबन्ध इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो, ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए उसे सशक्त कर सकेगी, और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे और वह यह भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत व्यय (जिनके अन्तर्गत प्रतिकर, यदि कोई हों, भी है) किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ⁶[राज्य सरकार] निम्नलिखित के लिए उपाय कर सकेगी और विनियम सहित विहित कर सकेगी :—

^{8*} * * * * *

(ख) रेल द्वारा या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण तथा उन व्यक्तियों का, जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को यह शंका है कि वे ऐसे किसी रोग से संक्रमित हैं, किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में या अन्यत्र अलग रखने के लिए;

^{9*} * * * * *

¹⁰[2क. केन्द्रीय सरकार की शक्तियां—जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया हो कि भारत अथवा उसके अधीन किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है और तत्समय प्रवृत्त विधि के साधारण उपबन्ध उस रोग

¹ यह अधिनियम,—

(1) महामारी (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1944 (1944 का पंजाब अधिनियम 3) द्वारा पंजाब में; 1947 के पूर्व पंजाब अधिनियम 1 द्वारा पूर्व पंजाब में;

(2) मध्य प्रान्त और बरार महामारी (संशोधन) अधिनियम, 1945 (1945 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 4) द्वारा मध्य प्रान्त और बरार में; संशोधित रूप से लागू किया गया।

अधिनियम का निम्नलिखित पर विस्तार किया गया :—

(1) 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर,

(2) 1961 के पंजाब अधिनियम सं० 8 द्वारा पंजाब के अंतरित राज्यक्षेत्रों पर,

(3) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर,

(4) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप पर,

(5) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी पर,

1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेल्लारी जिले पर लागू होने से निरसित किया गया।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (2) के अंत में शब्द “और” और उपधारा (3) निरसित।

⁵ इस धारा के अधीन जारी अधिसूचनाओं के लिए विभिन्न स्थानीय नियम और आदेश देखिए।

⁶ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “भारत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁸ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा पैरा (क) का लोप किया गया।

⁹ 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा उपधारा (3) का लोप किया गया।

¹⁰ 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित धारा 2क के स्थान पर भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

के प्रकोप या प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तब केन्द्रीय सरकार ।[उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है,] किसी पत्तन को छोड़ने वाले या उसमें आने वाले किसी पोत या जलयान के निरीक्षण के लिए और उसके, या उसमें यात्रा करने का आशय रखने वाले या उससे आने वाले किसी व्यक्ति के, निरोध के लिए उपाय कर सकेगी और ऐसे विनियम विहित कर सकेगी जो आवश्यक हों ।]

3. शास्ति—इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने वाले किसी व्यक्ति के विषय में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है ।

4. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसी किसी भी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

¹ विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।